न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 07 / 2016
RCMS Case No. 2016/00277

| प्रार्थी:– | बनाम | अप्रार्थीगण :– |
|---|---|---|
| श्री आनन्द कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोन अजमेर | | 1 चम्पालाल माली पुत्र सुगनाराम माली (विक्रेता एंव मालिक) मैसर्स बालाजी किराणा स्टोर, सब्जी मण्डी जैतारण |

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित :–

1. श्री आनन्द कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. अप्रार्थी अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक 25/9/2018

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी नियत तारीख पेशी को उपस्थित नही हुआ। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय किया जाता है। प्रार्थी की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोन अजमेर के पद पर पदस्थापित है। दिनांक 04.11.2015 को दौराने गस्त अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म मैसर्स बालाजी किराणा स्टोर, सब्जी मण्डी, जैतारण से अप्रार्थी की उपस्थिति में वहां रखे हुए हल्दी पाउडर (महावीर ब्राण्ड) का बिल पूछा, तो अप्रार्थी ने उक्त सामग्री का बिल नही होना जाहिर किया, इस पर 500 ग्राम के तीन पैकेट को वास्ते जांच हेतु क्रय कर, उक्त क्रयसुदा हल्दी पाउडर(महावीर ब्राण्ड) को चार भागों में विभक्त कर लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर आर–399 अंकित किया एवं नमूना का विवरण अंकित कर मौका फर्द तैयार की गई, जिस पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है। उक्त सीलबन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन में प्रार्थी द्वारा लिया गया हल्दी पाउडर(महावीर ब्राण्ड) को Misbranded under section 3(1)(xf)(A)(i)(a) and ( 3 (1)(zf)(B)(ii) of Food Sefety and Standards Act-2006 का पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा Misbranded हल्दी पाउडर(महावीर ब्राण्ड) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहा, जिसके कारण प्रकरण में अप्रार्थी के विरूद्ध गुणावगुण पर निर्णय किया जाता है।

प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 04.11.2015 को अप्रार्थी की फर्म से हल्दी पाउडर (महावीर ब्राण्ड) क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–399 अंकित कर सीलबन्द किया गया तथा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./898/एक्ट/2015/974 दिनांक 10.12.2015 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर–399 को Misbranded under section 3(1)(xf)(A)(i)(a) and ( 3 (1)(zf)(B)(ii) of Food Sefety and Standards Act-2006 माना है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अध्याय 6 के नियम 26 (2) का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम के अध्याय 9 की धारा 52 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जो कार्यवाही की गई है, उसमें समुचित जांच का अभाव पाया गया है। वस्तुतः जिस सामग्री का नमूना प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की फर्म से लिया गया, उस पर उक्त सामग्री के निर्माता का नाम एवं पता आदि अंकित था, जिसे खाद्य विश्लेषक द्वारा अपनी रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 2 में रेखांकित किया है, किन्तु प्रार्थी द्वारा उक्त निर्माता को प्रकरण में पक्षकार संयोजित ही नहीं किया, जो अप्रत्यक्ष रूप से मूल निमार्णकर्ता को लाभ प्रदान करने की श्रेणी में परिलक्षित होता है, यह स्थिति विधि अनुसार नहीं है। मात्र छोटे व्यापारीयों को पक्षकार बनाते हुए थोक विक्रेता/निर्माता को छोडना एवं उस पर किसी प्रकार की जांच/कार्यवाही नहीं करना, इस अधिनियम की मंशा के विपरित है, किन्तु प्रार्थी द्वारा मूल निर्माता को पक्षकार संयोजित नहीं करने के कारण सम्भवतः मूल निर्माता को इसका अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हुआ है, जो विधि विरूद्ध है। इसमें प्रार्थी की लापरवाही परिलक्षित होती है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) (2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा Misbranded खाद्य वस्तु हल्दी पाउडर (महावीर ब्राण्ड) का विर्निमाण/विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत अप्रार्थी पर 50,000/– अक्षरे पचास हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही प्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें, साथ ही प्रकरण में मूल निर्माता को पक्षकार संयोजित नहीं करने तथा सामग्री

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

का बिल आदि के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करने के कारण मूल निर्माण को अनाधिकृत लाभ पहुँचाए जाने के कारण प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का लापरवाही प्रकट होती है, जिससे मूल निर्माता के विरूद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं को सकी है। इसके लिए स्पष्टतया खाद्य सुरक्षा अधिकारी दोषी प्रतीत होते है। अतः संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोन अजमेर को निर्देश दिये जाते है कि इस सम्बन्ध में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ करते हुए प्रतिवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपी अप्रार्थी एवं प्रार्थी एवं संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोन अजमेर को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(भागीरथ बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 25/9/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली